



# उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग लखनऊ

संख्या 694 -काविनी एवं वे०प्र०-२९ / पाकालि / 2011 - 7 काविनी एवं वे०प्र० / ०९ दिनांक 27 जुलाई, 2011

**समस्त मुख्य अभियंता (स्तर-I एवं II),**

**समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक,**

**समस्त अधीक्षण अभियंता,**

**समस्त उप महाप्रबन्धक,**

**उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।**

**विषय:-** उ०प्र० पावर कारपोरेशन एवं उसकी वितरण कम्पनियों के समस्त पूर्णकालिक अधिकारियों / कर्मचारियों जिनके वेतनमान दिनांक 01.01.06 से पुनरीक्षित किये जा चुके हैं, को दिनांक 01 जनवरी, 2011 से बढ़ी हुई दर पर मंहगाई भत्ते का भुगतान।

**महोदय,**

उपर्युक्त विषयक कारपोरेशन के आदेश संख्या 52-काविनी एवं वे०प्र०-२९/पाकालि/०८-७-काविनी एवं वे०प्र०/०८ दिनांक 31 जनवरी, 2011 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश है कि दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतनमानों में कारपोरेशन के समस्त पूर्णकालिक नियमित अधिकारियों/कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2011 से निम्नानुसार बढ़ी हुई दर पर मंहगाई भत्ता अनुमन्य होगा :-

तिथि जब से देय है	मंहगाई भत्ते की मासिक दर
01 जनवरी, 2011	मूल वेतन का 51 प्रतिशत

2. उपरोक्त बढ़ी हुई दर से मंहगाई भत्ते के भुगतान के सम्बन्ध में निम्न प्रमुख बिन्दु निर्धारित किये गये हैं :-

- 1) इस आदेश द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते के आगणन हेतु मूल वेतन का तात्पर्य दिनांक 01.01.2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में कर्मचारियों को अनुमन्य वेतन बैण्ड में 'वेतन' तथा अनुमन्य 'ग्रेड वेतन' के योग से होगा, किन्तु नियत वेतनमान में अनुमन्य वेतन ही मूल वेतन माना जायेगा। परन्तु उक्त के अतिरिक्त अन्य प्रकार के वेतन जैसे विशेष वेतन, सीमान्त विशेष वेतन/भत्ता, वैयक्तिक वेतन, प्रतिनियुक्ति भत्ता/वेतन तथा अन्य भत्ते आदि भले ही वे मूल नियम के अन्तर्गत वेतन की परिधि में आते हों, को मूल वेतन के साथ सम्मिलित नहीं किया जायेगा। परन्तु प्रैविट्स बन्दी भत्ता को 'वेतन' का अंश माना जायेगा, अर्थात प्रैविट्स बन्दी भत्ता को मंहगाई भत्ता के आगणन हेतु सम्मिलित किया जायेगा।
- 2) मंहगाई भत्ते को एक तरह का विशिष्ट घटक ही माना जायेगा तथा वित्तीय नियम - ९ (21) के अन्तर्गत 'वेतन' नहीं माना जायेगा।
- 3) इन आदेशों के द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ता उन कार्मिकों को भी, जो प्रभावी तिथि को सेवारत थे, किन्तु इस आदेश के जारी होने के पूर्व जिनकी सेवाएँ चाहे जिन कारणों से यथा अनुशासनिक कारणों से या

(क्रमांक: ..... 2)

त्याग-पत्र, सेवा-निवृत्ति, मृत्यु या सेवा-मुक्त करने या स्वीकृत पदों की समाप्ति के कारण समाप्त हो गयी हों, सेवा-समाप्ति, सेवा निवृत्ति आदि की तिथि तक अनुमन्य होगा।

- 4) इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महँगाई भत्ते की देय धनराशि को निकटतम एक रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा तथा पचास पैसे और उससे अधिक को उच्चतर रूपये तक पूर्णांकित किया जायेगा और पचास पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जायेगा।
  - 5) दिनांक 01 जनवरी, 2011 से दिनांक 31 जुलाई, 2011 तक देय महँगाई भत्ते की अवशेष धनराशि, अधिकारी/कर्मचारी के सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि खाते में, अवशेष धनराशि पर देय आयकर एवं सरचार्ज की कटौती की सुविधा के अधीन जमा की जायेगी और इस प्रकार जमा धनराशि को सामान्य भविष्य निधि/ अंशदायी भविष्य निधि खाते में दिनांक 01 अगस्त, 2011 से जमा माना जायेगा और इसी तिथि से उक्त धनराशि पर ब्याज सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि पर लागू दर से देय होगा। इस प्रकार सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि खाते में जमा की गई अवशेष धनराशि दिनांक 31.07.2012 तक सम्बन्धित अधिकारी/ कर्मचारी के खाते में जमा रहेगी और इसे उन मामलों को छोड़कर, जिनमें सामान्य/ अंशदायी भविष्य निधि नियमों के अन्तर्गत अन्तिम प्रत्याहरण (*Final Withdrawal*) देय हो जाये, उक्त तिथि से पूर्व निकाला नहीं जा सकेगा।
  - 6) इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महँगाई भत्ते की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान दिनांक 01 सितम्बर, 2011 से (माह अगस्त, 2011 का भुगतान दिनांक 01 सितम्बर, 2011 को देय) नकद किया जायेगा।
  - 7) ऐसे अधिकारी/कर्मचारी, जिनका सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि खाता न खुला हो उनको देय अवशेष, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन०एस०सी०) के रूप में दिया जायेगा, परन्तु धनराशि के जिस अंश का सर्टिफिकेट उपलब्ध न हो, वह उसे नकद दी जायेगी।
  - 8) जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाएं इस आदेश के जारी होने की तिथि से पूर्व समाप्त हो गई हों अथवा जो अधिकारी/कर्मचारी अधिवर्षता की आयु प्राप्त कर दिनांक 01 जनवरी, 2011 से इस आदेश के निर्गत होने की तिथि तक सेवानिवृत्त हो गये हों अथवा 06 माह के अन्दर सेवानिवृत्त होने वाले हों, उनके देय महँगाई भत्ते की बकाये की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा।

3. उक्त आदेशों द्वारा स्वीकृत वढ़ी हुई मंहगाई भत्ते की धनराशि के आहरण हेतु उप महाप्रबंधक (लेखा) द्वारा प्राधिकार पत्र अलग से निर्गत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

भवदीय

(विनय किशोर श्रीवास्तव)  
संयुक्त सचिव (का०वि०नी०)

सं० ६९४ -(१) काविनी एवं वे०प्र०-२९/पाकालि/२०११ - तददिनांक।

प्रतेलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पेशित :-

1. अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पा० का० लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
  2. अध्यक्ष, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०/उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०।

(क्रमशः ..... 3)

3. प्रयन्थ निदेशक, उ० प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव।
4. संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
5. प्रयन्थ निदेशक, केस्को, कानपुर / पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी / पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ / मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ / दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा।
6. समस्त निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
7. अपर पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० पा०का०लि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ०प्र० पा०का०लि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. अध्यक्ष विद्युत सेवा आयोग, बी-१७, जै० रोड, महानगर, उ०प्र० पा०का०लि०, लखनऊ।
10. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०।
11. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
12. समस्त उप मुख्य लेखाधिकारी / क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
13. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), केन्द्रीय लेखा कार्यालय, उ०प्र० पा०का०लि०, लखनऊ।
14. अनु सचिव (स०प्र०-लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
15. समस्त अधिकारी, कारपोरेशन मुख्यालय, शक्ति भवन, लखनऊ।

आङ्ग से



(विनय किशोर श्रीवास्तव)  
संयुक्त सचिव (का०वि०नी०)